संख्या-11/2023/44ई/23-11-2023/006-1-2-135-2021टीसी

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 09 जनवरी, 2023**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गो/सेतुओं तथा मार्गो पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गो से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण,चौड़ीकरण/ सुदृढीकरण/सौन्दर्यीकरण योजना के चालू कार्यो पर धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1),लोक निर्माण विभाग,लखनऊ के पत्र संख्या-2670/CE-HQ1/PRYTN/MBD/2022-23, दिनांक 03-01-2023, पत्र संख्या-2748/CE-HQ1/PRYTN/JHA/2022-23, दिनांक 07-01-2023, पत्र संख्या-2749/CE-HQ1/PRYTN/MBD/2022-23, दिनांक 07-01-2023 एवं पत्र संख्या-2750/CE-HQ1/PRYTN/BAN/2022-23, दिनांक 07-01-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गो/सेतुओं तथा मार्गो पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गो से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण,चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/ सौन्दर्यीकरण योजना के 08 चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल रू0 362.76 लाख (रू0 तीन करोड़ बासठ लाख छियत्तर हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तो सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत/ प्रावैधिक/ बचत की लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	प्रा0ख0 बिजनौर	जनपद बिजनौर में चांदपुर से हिलालपुर श्री कल्कि कृष्ण आश्रम मार्ग का नवनिर्माण का कार्य (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 1.950 कि0मी0)।	124.03/120.39	113.98	6.41
2	प्रा0ख0 बिजनौर	जनपद बिजनौर मे मलेशिया से ढाकी शिव मंदिर तक मार्ग का नवनिर्माण का कार्य (ग्रामीण मार्ग, लम्बाई 1.200 कि0मी0)।	84.59/84.16	74.66	9.50
3	प्रा0ख0 बिजनौर	जनपद बिजनौर मे बदायूँ बिजनौर मार्ग (राज्य मार्ग स0-51) के कि0मी0 186 से रावटी से धार्मिक स्थल बाबा मथुरादास मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण का कार्य (1.850 कि0मी0)।	118.53/98.46	94.82	3.64
4	प्रा0ख0 बिजनौर	जनपद बिजनौर में खानपुर रायपुर खादर मार्ग धार्मिक स्थल बाल्मिकी कुटी/सीतामठ मंदिर तक सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 1.00 कि0मी0)।	50.94/47.34	45.94	1.40
5	प्रा0ख0 जालौन	जनपद जालौन में कोंच नदीगांव मार्ग (अ0जि0मा0) की अन्तर्राज्जीय सीमा पर 02 लेन गेट-वे का निर्माण कार्य।	114.91/114.76	29.00	85.76
6	प्रा0ख0 रामपुर	जनपद रामपुर में गदरपुर मिल कखानम मार्ग पर गेट निर्माण कार्य।	114.91/114.15	29.00	85.15
7	प्रा0ख0 रामपुर	जनपद रामपुर मे बिलासपुर चकफेरी मार्ग पर गेट निर्माण कार्य।	114.91/114.85	29.00	85.85
8	नि0ख0-1 बांदा	जनपद बांदा मे फतेहपुर-बबेरू-अतरा-नरैनी-करतल मार्ग पर गेट निर्माण कार्य।	114.91/114.05	29.00	85.05
		योगः-			**362.76**

नियम व शर्ते/ प्रतिबन्ध

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 3,62,76,000(रूपये तीन करोड़ बासठ लाख छियत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054043371349 प्रदेश के महत्वपूर्ण मार्गो/सेतुओं तथा मार्गो पर प्रवेश द्वार की स्थापना एवं अन्य सौन्दर्यीकरण के कार्य तथा धार्मिक स्थलों को मुख्य मार्गो से जोड़ने हेतु मार्गो के निर्माण, चौड़ीकरण/सुदृढीकरण/ सौन्दर्यीकरण का कार्य मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या-11/2023/44ई(1)/23-11-2023/006-1-2-135-2021टीसी, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।